कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 65/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 15.02.2026

डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 15.02.2026 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी।

प्रेस-नोट

थाना– बरदह, जनपद आजमगढ़

जमीनी रंजिश को लेकर घर में घुसकर जानलेवा हमला करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास–

दिनांक 14.02.2026 को वादिनी श्रीमती हीरावती देवी पत्नी कान्ता, निवासी ग्राम बर्रा, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर लिखित सूचना दी गई कि विपक्षीगण द्वारा जमीनी रंजिश के चलते लाठी-डंडा व कटार लेकर गाली-गलौज करते हुए उनके घर में घुसकर जान से मारने की नियत से उनके सिर पर प्रहार किया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गईं। साथ ही वादिनी एवं उनके परिजनों को भी विभिन्न स्थानों पर चोटें आईं।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बरदह पर मु0अ0सं0 45/2026 धारा 333, 109, 352, 351(3), 118(1), 115(2) बीएनएस बनाम

1. हिरदू राजभर पुत्र स्व० रामनाथ
2. रामनयन राजभर पुत्र स्व० रामनाथ
3. शकुन्तला पत्नी छोटू राजभर (निवासी बर्रा)
4. विशाल राजभर पुत्र बाहुबली निवासी कुकुहा थाना गौराबादशाहपुर, जनपद जौनपुर

पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण–

दिनांक 15.02.2026 को उ0नि0 संजय कुमार मय हमराही द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्तगण

1. हिरदू राजभर पुत्र स्व० रामनाथ
2. रामनयन राजभर पुत्र स्व० रामनाथ निवासी ग्राम बर्रा, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़ को खराट नहर के पास समय लगभग 11:00 बजे गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण–

1. हिरदू राजभर पुत्र स्व० रामनाथ, निवासी ग्राम बर्रा थाना बरदह जनपद आजमगढ़
2. रामनयन राजभर पुत्र स्व० रामनाथ, निवासी ग्राम बर्रा थाना बरदह जनपद आजमगढ़

बरामदगी का विवरण–

घटना में प्रयुक्त 02 अदद डंडा बरामद।

आपराधिक इतिहास–

1. हिरदू राजभर – मु0अ0सं0 45/2026 धारा 333, 109, 352, 351(3), 118(1), 115(2) बीएनएस।
2. रामनयन राजभर – मु0अ0सं0 45/2026 धारा 333, 109, 352, 351(3), 118(1), 115(2) बीएनएस।

गिरफ्तारी करने वाली टीम–

1. उ0नि0 संजय कुमार, थाना बरदह जनपद आजमगढ़
2. का0 प्रशान्त सिंह, थाना बरदह जनपद आजमगढ़
3. का0 संदीप साह, थाना बरदह जनपद आजमगढ़

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना– कप्तानगंज, जनपद आजमगढ़

मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत नाबालिग बालिकाओं से छेड़खानी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ के निर्देशन में एवं क्षेत्राधिकारी बूढ़नपुर के पर्यवेक्षण में तथा **मिशन शक्ति 5.0 अभियान** के अंतर्गत महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा एवं सम्मान सुनिश्चित करने हेतु थाना कप्तानगंज पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए नाबालिग बालिकाओं से छेड़खानी करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

घटना का विवरण–

दिनांक 13.02.2026 को थाना स्थानीय पर एक वादी द्वारा लिखित सूचना दी गई कि रामसागर पुत्र सोबरन निवासी ग्राम पट्टीपुर, थाना मितौली, जनपद लखीमपुर खीरी द्वारा उनकी नाबालिग बालिकाओं के साथ छेड़खानी की गई।
प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कप्तानगंज पर मु0अ0सं0 46/2026 धारा 74 बीएनएस एवं 9M/10 पॉक्सो एक्ट बनाम रामसागर उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

पंजीकृत अभियोग–

मु0अ0सं0 46/2026 धारा 74 बीएनएस एवं 9M/10 पॉक्सो एक्ट थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी का विस्तृत विवरण–

मुकदमा पंजीकरण के उपरांत अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु थाना स्तर पर टीम गठित की गई। संभावित स्थानों पर दबिश दी गई तथा सूचना संकलित की गई। दिनांक 14.02.2026 को सूचना प्राप्त हुई कि अभियुक्त थाना क्षेत्र में मौजूद है और कहीं जाने की फिराक में है। प्राप्त सूचना पर उ0नि0 अमन तिवारी मय हमराही पुलिस बल द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए बताए गए स्थान पर घेराबंदी की गई। अभियुक्त को आवश्यक बल प्रयोग करते हुए नियमानुसार समय से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के उपरांत अभियुक्त को थाना लाकर आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण की गई तथा चिकित्सीय परीक्षण कराते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

1-रामसागर पुत्र सोबरन, निवासी ग्राम पट्टीपुर, थाना मितौली, जनपद लखीमपुर खीरी।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 अमन तिवारी, थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़।
2. का0 विपिन पाण्डेय, थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़।

जनपद पुलिस महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है।